राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1844/2008/जयपुर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वार्ड–III, वृत–I, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

श्री राकेश कुमार मार्फत मैसर्स लिबड़ा फ्रेटवेज (रजि.), दिल्ली. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी. पी. ओझा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित

दिनांक : 12/07/2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), प्रथम, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 2000/आरएसटी/एनआरडी/97–98 में पारित किये गये आदेश दिनांक 27.12.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–तृतीय, वृत–प्रथम, राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 78(8) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 30.8.1997 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 11.8.97 को वाहन संख्या पी.बी.10/टी–9374 की जांच करने के लिये जांच अधिकारी द्वारा वाहन रूकवाने पर वाहन चालक वाहन को छोड़कर भाग गया, ऐसी स्थिति में वाहन की जांच पर इसमें उपलब्ध एक लिफाफे में रखे 6 बिल्टियों एवं 101 नग माल परिवहनित होने की जानकारी प्राप्त हुई। जांच के पश्चात् पाया गया कि 17 नग माल दिल्ली से जयपुर के लिये परिवहनित हो रहा था परन्तु दस्तावेज राज्य के बाहर (दिल्ली) से राज्य के बाहर (मुम्बई) जाने के बनाये गये थे। इस कृत्य के अभियोग में प्रत्यर्थी ट्रांसपोर्ट कम्पनी पर अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति आरोपित की गई, साथ ही अधिनियम की धारा 78(8) के तहत ट्रांसपोर्टर के रूप में भी शास्ति का आरोपण किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा दोनों

लगातार.....2

ही अभियोग अर्थात् अधिनियम की धारा 78(5) व 78(8) में पारित आदेशों को अपास्त कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर राजस्व द्वारा पृथक–पृथक अपीलें राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिसमें से अधिनियम की धारा 78(5) से सम्बन्धित अपील संख्या 1843/2008/जयपुर का निस्तारण निर्णय दिनांक 20.10.2016 के जरिये करते हुए राजस्व की अपील स्वीकार की गई एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त कर सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.8.97 को पुनर्स्थापित किया गया एवं अधिनियम की धारा 78(5) के तहत आरोपित शास्ति की पुष्टि की गई। इसी प्रकरण से सम्बन्धित अधिनियम की धारा 78(8) के तहत पारित आदेश के विरूद्ध भी अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील स्वीकार कर शास्ति को अपास्त किये जाने के आदेश के विरूद्ध राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ, हालांकि नोटिस जरिये अखबार प्रकाशन तामील हो चुका है। प्रकरण के उक्त तथ्यों के अधीन पत्रावली की जांच की गई एवं माननीय राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ के आदेश दिनांक 20.10.2016 का अध्ययन किया गया।

4. राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अधिनियम की धारा 78(8) के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने के अपीलीय आदेश को अविधिक बताया क्योंकि ट्रांसपोर्ट कम्पनी द्वारा जानबूझकर जयपुर में आयातित किये जा रहे माल को भी राज्य के बाहर जाना बताते हुए अधिनियम की धारा 78(2) का उल्लंघन किया गया था अतः आरोपित शास्ति विधिसम्मत थी परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा अनुचित रूप से अपील स्वीकार कर शास्ति को अपास्त किया गया है।

5. राजस्व की एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं प्रकरण के तथ्यों का अध्ययन किया गया।

6. मेरे समक्ष जो प्रकरण प्रस्तुत है उसमें अधिनियम की धारा 78(8) की शास्ति विवादित है। धारा 78(8) की शास्ति उन मामलों में आरोपणीय है जब किसी वाहन का चालक या वाहन का इंचार्ज धारा 78(2) का उल्लंघन करने के लिये उत्तरदायी पाया जाता है। इस प्रकरण में सक्षम अधिकारी द्वारा यह निष्कर्ष दिया गया था कि परिवहनित माल दिल्ली से जयपुर के लिये आयातित हो रहा था परन्तु उसके दस्तावेज कर चोरी के उद्देश्य से दिल्ली से मुम्बई के लिये बनवाये गये थे। अपीलीय अधिकारी द्वारा यह निर्णय दिया गया कि सक्षम अधिकारी द्वारा बिना किसी जांच एवं ठोस आधारों के राज्य के बाहर के लिये

लगातार.....3

परिवहनित माल को राज्य के भीतर का माल बताया गया है जबकि अपील मीमो के साथ मुम्बई चुंगी नाके की रसीदों से यह प्रमाणित पाया कि परिवहनित माल राज्य के बाहर अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंच गया है ऐसी स्थिति में किसी विपरीत साक्ष्य के बिना आरोपित शास्ति को अविधिक ठहराया गया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा यह टिप्पणी भी की गयी है कि माल के प्रेषक एवं प्रेषिति के पूर्ण नाम एवं पते उपलब्ध होने के बावजूद भी केवल विभागीय कम्प्यूटर फ्लॉपी से जांच करवाई गई वह पर्याप्त नहीं है एवं ट्रांसपोर्टर की सहभागिता को भी प्रमाणित नहीं किया है अतः धारा 78(5) एवं सहभागिता के लिये अधिनियम की धारा 78(8) के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया था। इस प्रकरण में मेरे समक्ष प्रस्तुत अपील के मूल प्रकरण जो धारा 78(5) से सम्बन्धित है उसमें आरोपित शास्ति भी इसी ट्रांसपोर्ट कम्पनी के नाम से आरोपित की गयी है तथा अधिनियम की धारा 78(2) का उल्लंघन करने के लिये ट्रांसपोर्ट कम्पनी को ही जिम्मेदार मानते हुए उसे ही व्यवसायी एवं ट्रांसपोर्टर माना गया है ऐसी स्थिति में उसी व्यक्ति पर पुनः धारा 78(8) में शास्ति का आरोपण नहीं किया जा सकता क्योंकि धारा 78(8) की शाास्ति उस परिस्थिति में ही आरोपित की जा सकती है जब माल के मालिक एवं ट्रांसपोर्ट कम्पनी दो अलग–अलग व्यक्ति की हैसियत से कार्यरत हों जबकि इस प्रकरण में सक्षम अधिकारी द्वारा माल का मालिक एवं ट्रांसपोर्टर एक ही व्यक्ति को मानते हुए शास्ति आरोपित की है ऐसी स्थिति में सहभागिता का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होने से धारा 78(8) में अलग से शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती। मैं यह टिप्पणी करना उचित समझता हूं कि माननीय राजस्थान कर बोर्ड के द्वारा अधिनियम की धारा 78(5) में आरोपित शास्ति की पुष्टि करने के बावजूद भी धारा 78(8) की शास्ति पुष्टि योग्य नहीं रहती है क्योंकि दोनों ही शास्तियां एक ही व्यक्ति पर आरोपित नहीं की जा सकती।

7. फलतः इस आधार पर राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है एवं धारा 78(8) की शास्ति को अपास्त करने के अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।

14/7/2017

(के. एल. जैन)
सदस्य